(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली,18 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 313.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विभागीय कैंटीन (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 के (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् ;-

"2. पद-संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"।

3. उक्त नियमों की अनुसूची के -

(i) 'सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी' के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने',-

(क) स्तम्भ (4) में,-

(क) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन-मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

(ख) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन-मैट्रिक्स 25500-81100 रु. में स्तर 4।";

(ख) स्तम्भ (11) में,-

(क) 'प्रोन्नति' उप -शीर्षक के अधीन,-

I मद (i) और मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

" (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. के स्तर 2 में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है।;

(ii) ऐसे हलवाई- सह- रसोइया जो वेतन मैट्रिक्स 21700-69100 रु. के स्तर-3 में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ भण्डार या लेखा के संचालन में दो वर्ष का अनुभव रखते हैं और लिपिक पद पर सीधे भर्ती के लिए यथा विहित अर्हता रखते हैं अर्थात किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण हैं।,";

II टिप्पण 2 को लोप किया जाएगा;

(ख) 'प्रतिनियुक्ति' उप-शीर्षक के अधीन,-

I मद (क) में, उप-मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) जिन्होंने विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. के स्तर 2 में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में नियमित आधार पर आठ वर्ष की सेवा।";

II टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(ii) 'हलवाई सह-रसोइया' पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने,-

(क) स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स 21700-69100 रु. में स्तर-3"

(ख) स्तम्भ (11) में,-

(क) 'प्रोन्नति' उप -शीर्षक के अधीन,-

I प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

" 'ऐसे सहायक हलवाई सह-रसोइया' जिसने वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. के स्तर 2 में या समतुल्य में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो;"

II टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) 'प्रतिनियुक्ति' उप-शीर्षक के अधीन,-

I मद (क) में, उप-मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी; अर्थात्:-

"(ii) विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. के स्तर 2 में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में नियमित आधार पर तीन वर्ष की सेवा वाले सहायक हलवाई – सह-रसोइया ।";

II टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(iii) 'क्लर्क' पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने,-

(क) स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. में स्तर-2"

(ख) स्तम्भ (11) में,-

(क) 'प्रोन्नति' उप शीर्षक के अधीन,-

I प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:-

" ऐसे ' कैंटीन सहायक' जिसने वेतन मैट्रिक्स 18000-56900 रु. के स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

कैंटीन सहायकों के लिए लिपिक पद पर प्रोन्नति हेतु सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों से संगठन संबंधी व्यवहार, संप्रेषण कौशल और लेखा परंपराओं का दो सप्ताह का प्रशिक्षण आज्ञापक होगा। ";

II टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) 'प्रतिनियुक्ति' उप-शीर्षक के अधीन,-

I मद (क) में, उप-मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी; अर्थात्:-

"(ii) विभाग या मूल काडर में वेतन मैट्रिक्स 18000-56900 रु. के स्तर 1 में या समतुल्य में नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले 'कैंटीन सहायक'।";

II टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(iv) ' सहायक हलवाई सह - रसोइया ' पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने,-

(क) स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स 19900-63200 रु. में स्तर-2"

(ख) स्तम्भ (11) में,-

(क) 'प्रोन्नति' उप-शीर्षक के अधीन,-

I प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्,-

" ऐसे 'कैंटीन सहायक' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 18000-56900 रु. के स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है।

अभ्यर्थी की प्रोन्नति के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा खाना बनाने हेतु जिसमे स्वच्छता आदि का रख रखाव भी शामिल है, एक व्यवसायिक कौशल परीक्षण संचालित किया जायेगा।";

II टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ख) 'प्रतिनियुक्ति' उप-शीर्षक के अधीन,-

I मद (क) में, उप-मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद रखी जाएगी; अर्थात्:-

"(ii) ऐसे कैंटीन सहायक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स 18000-56900 रु. के स्तर 1 में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास हलवाई सह-रसोइया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव है; ";

II टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

(v) 'कैंटीन सहायक' पद से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने, स्तम्भ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स 18600-56900 रु. में स्तर-1"

[फा. सं. ए-12012/01/2016-स्था-घ]

अनूप कुमार, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 75 तारीख 30 मार्च, 2013 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 18th September, 2017

G.S.R. 313.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Industrial Policy and Promotion, Departmental Canteen (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013, namely :-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion, Departmental Canteen (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Industrial Policy and Promotion, Departmental Canteen (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013 (herein after referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.- The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.".

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) against serial number 1 relating to the post of 'Assistant Manager- cum- Storekeeper',-

(a) in column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix or pay scale.";

(B) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 4 in the pay matrix ₹ 25500-81100.";

(b) in column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion',-

I for items (i) and (ii), the following items shall be substituted, namely:-

" (i) clerks with eight years regular service in level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200;

(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in level 3 in the pay matrix ₹ 21700-69100 with two years' experience in handling stores or accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited Clerk that is 12th Class pass with Commerce as a subject from a recognized Board.";

II Note 2 shall be omitted;

(B) under the sub-heading 'Deputation',-

I. in item (a), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

" (ii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200 or equivalent in the parent cadre or department.";

II. Note 3 shall be omitted;

(ii) against serial number 2, relating to the post of 'Halwai-cum-Cook',-

(a) in column (4) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 3 in the pay matrix ₹ 21700-69100.";

(b) in column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion',-

I. for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200.";

II. Note 2 shall be omitted;

(B) under the sub-heading 'Deputation',-

I. in item (a), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

" (ii) Assistant Halwai-cum-Cook with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200 or equivalent in the parent cadre or department.";

II Note 3 shall be omitted;

(iii) against serial number 3, relating to the post of 'Clerk',-

(a) in column (4) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200.";

(b) in column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion',-

I. for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Canteen Attendant with three years' regular service in level 1 in the pay matrix ₹ 18000-56900.

A two week training on organizational behavior, communication skill and accounting practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of clerk from Insttitute of Secretariat Training and Management or any other recognized Institutes.";

II. Note 2 shall be omitted;

(B) under the sub-heading 'Deputation',-

I. in item (a), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

" (ii) Canteen Attendant with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 1 in the pay matrix ₹ 18000-56900 or equivalent in the parent cadre or department.";

II. Note 3 shall be omitted;

(iv) against serial number 4 relating to the post of 'Assistant Halwai-cum-Cook',-

(a) in column (4) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 2 in the pay matrix ₹ 19900- 63200.";

(b) in column (11),-

(A) under the sub-heading 'Promotion',

I. for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

" Canteen Attendant with three years' regular service in level 1 in the pay matrix ₹ 18000-56900.

A trade skill test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee for cooking including maintenance of hygiene, etc., to assess the suitability of the candidate for promotion.";

II. Note 2 shall be omitted;

(B) under the sub-heading 'Deputation',-

I. in item (a), for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:-

" (ii) Canteen Attendant with three years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 1 in the pay matrix ₹18000-56900 having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook;";

II. Note 3 shall be omitted;

(v) against serial number 5 relating to the post of 'Canteen Attendant', in column (4) for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level 1 in the pay matrix ₹ 18000- 56900.".

[F. No. A-12012/01/2016-Estt.-D]

ANOOP KUMAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub - Section (i) *vide* notification number G.S.R. 75**,** dated the 30th March, 2013.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 314.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

i. इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती संशोधन नियम, 2017 है।

ii ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (बहु कार्य कर्मचारिवृंद) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2 पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. उक्त नियमों, की अनुसूची में, स्तंभ (4) में, शीर्षक और प्रविष्ठियों से संबंधित, निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्ठियों रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-1 (18000- 56900) रु"

[फा.सं. ए-12018/01/2012/स्थापना- चार]

गोपाल कृष्ण शुक्ल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. 225, तारीख 14 सितम्बर, 2013 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।